कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून –248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्या– 1879 /XXV – 02 (14)/2023 देहरादून : दिनांक 22 अक्टूबर, 2026

–: प्रेसनोट :–

विषय :– उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन–2027 के लिए दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 से सभी जनपदों में ईवीएम तथा वीवीपीएटी की प्रथम स्तरीय जांच (एफ.एल.सी.)।

1– भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जाने वाली ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की, जिला निर्वाचन अधिकारी की देख–रेख में ईसीआईएल (निर्माता) के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा प्रथम स्तरीय जांच (एफ.एल.सी.) सम्पादित की जाती है।

2– लोक सभा/विधान सभा के लिए किसी भी सामान्य/उप निर्वाचन में केवल प्रथम स्तरीय जांच (एफ.एल.सी.) में प्रमाणित ईवीएम एवं वीवीपीएटी मशीनों का ही उपयोग किया जाता है। एफ.एल.सी. की विस्तृत प्रक्रिया, मैनुअल ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, संस्करण–9 (अगस्त–2026) के अध्याय–2 में दी गयी है, जो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट https://www.eci.gov.in/evm-vvpat पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उपलब्ध है।

3– विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन–2027 के दृष्टिगत, राज्य के सभी 13 जनपदों में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीआईएल) के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा, ईवीएम तथा वीवीपीएटी के गोदाम में दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 से कार्य की समाप्ति तक, प्रत्येक दिन (रविवार एवं अन्य सार्वजनिक अवकाश दिनों सहित) पूर्वान्ह 09:00 बजे से अपरान्ह 07:00 बजे के बीच एफ.एल.सी. का कार्य सम्पादित किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार एफ.एल.सी. की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गयी है।

4– एफ.एल.सी. कार्य की निगरानी जिला निर्वाचन अधिकारी के अतिरिक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से भी की जाती है।

5– मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष/महासचिव/महामंत्री/सचिव को पत्र संख्या–1747 दिनांक 02 अक्टूबर, 2026 तथा पत्र संख्या–1854 दिनांक 21 अक्टूबर, 2026 एवं पत्र संख्या–1869 दिनांक 21 अक्टूबर, 2026 के द्वारा लिखित में तथा दिनांक 22 अक्टूबर, 2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ सम्पन्न हुई बैठक में, उक्त कार्यक्रम के अनुसार एफएलसी प्रक्रिया के साक्षी बनने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने का अनुरोध किया जा चुका है।

6– मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से पुनः अनुरोध है कि, कृपया उक्त कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक जनपद में एफएलसी प्रक्रिया के साक्षी बनने के लिए अपने दल के प्रतिनिधियों को अधिकृत करते हुए इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में अपना अतुलनीय सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

(डा.बी.वी.आर.सी.पुरूषोत्तम)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि :– महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त प्रेसनोट को दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों में सर्वसाधारण की जानकारी के प्रकाशित करवाते हुए समाचार पत्रों की कतरनें अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।